राजस्थान—सरकार

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बाराँ (राज.)

पीठासीन अधिकारी मोहम्मद अबूबक्र (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :— 337/2020

बउनवान

बंशीलाल उम्र 80 वर्ष पुत्र भोलू जाति मीणा निवासी बोरदा तहसील छीपाबड़ौद जिला बारॉ
(अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये नायब तहसीलदार हरनावदाशाहजी तह0 छीपाबड़ौद
(रेस्पोडेन्ट)

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू—राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थित :— 1— श्री सुरेन्द्र मीणा अभिभाषक (अपीलांट)
2— पेरोकार सरकार (रेस्पोडेन्ट)

निर्णय दिनांक 12.11.2020

अपीलांट ने यह अपील अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, हरनावदाशाहजी के प्रकरण संख्या 551/2015 किस्म धारा 91 एल.आर.एक्ट में पारित निर्णय दिनांक 12.12.2015 के विरूद्व अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत की गयी है। अपील के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट को वाके ग्राम बोरदा की सरकारी भूमि किस्म चारागाह सम्वत् 2072 मे खसरा नम्बर 291/102 की रकबा 6 बीघा भूमि पर फसल सोयाबीन/हकत की बोई जाकर अतिक्रमण करने पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर 60 दिन की सिविल कारावास की सजा एवं 300/— रूपये तावान से दण्डित किया है। जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील प्रस्तुत की गई।

इस पर अपील को दिनांक 10.11.2020 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, रेस्पोडेन्ट को जर्ये नोटिस तलब किया जाकर, अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली तलब की गई। अधीनस्थ न्यायालय से मूल पत्रावली प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली की जाकर उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई।

अपीलांट के अभिभाषक ने दौराने बहस व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को बिना सुने तथा बिना जवाब का मौका दिए एकपक्षीय कार्यवाही फरमाकर अपीलांट को दंडित फरमाने में कानूनी भूल की है जो काबिले निरस्तनीय है। यह कि सरकारी भूमि पर अपीलान्ट द्वारा न तो कभी कब्जा किया गया है और न हीं अपीलांट का उक्त विवादित आराजी पर कब्जा है। वर्तमान में अपीलांट का विवादित आराजी पर कब्जा नहीं होने एवं तावान राशि बकाया नहीं होने बाबत् पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 06.11.2020 पत्रावली में संलग्न है। पटवारी हल्का की मिथ्या रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट को दंडित करने में कानूनी भूल की है। यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का समस्त अवलोकन न कर अपीलांट को दंडित फरमाने में कानूनी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र हल्का पटवारी की रिपोर्ट को विश्वसनीय मानकर अपीलांट को सुनवाई का मौका दिए बिना दंडित फरमाने में कानूनी भूल की है। उक्त निर्णय की पालना में अपीलांट को दिनांक 04.11.2020 को गिरफ्तार किया जाकर जेल भिजवा दिया गया है, वर्तमान में अपीलांट न्यायिक अभिरक्षा में है। अपील की सुनवाई का श्रवणाधिकार न्यायालय श्रीमान् को प्राप्त है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय उपतहसीलदार हरनावदाशाहजी के निर्णय दिनांक 12.12.2015 [illegible] फरमाया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohammed Abubakr
Date: 2020.11.24 16:25:00 IST
Reason: SelfAttested

इसके विपरीत पेरोकार सरकार द्वारा कथन किया गया कि अपीलांट द्वारा सरकारी भूमि किस्म चारागाह पर फसल सोयाबीन/हकत की बोई जाकर अतिक्रमण किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी का नोटिस जारी किया गया, जिसकी तामील प्रोपर करवाई गई। अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में अनुपस्थित रहा है। अपीलांट को सुनवाई का पूर्ण अवसर मिला है। अपीलांट वर्तमान में दिनांक 04.11.2020 से न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है एवं अपीलांट द्वारा पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 06.11.2020 में अपीलांट की ओर कोई तावान राशि बकाया नहीं होना और विवादित आराजी पर कब्जा नहीं होना बताया गया है। प्रस्तुत अपील में अपीलांट द्वारा उसकी उम्र 80 वर्ष दर्शायी गई है। प्रकरण में अपीलांट की वृद्धावस्था को देखते हुए भुगती गई सजा को छोड़कर शेष सजा माफ की जा सकती है।

मेरे द्वारा उभयपक्षो के तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी का नोटिस जारी किया गया। अपीलांट को नोटिस की तामील प्रोपर करवाई गयी थी। अपीलांट वक्त निर्णय अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, हरनावदाशाहजी में अनुपस्थित रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का के बयान लिये गये है और अपीलार्थी को पटवारी के बयानों में जिरह का अवसर नहीं दिया गया है तथा दो स्वतंत्र गवाहों के बयान भी नहीं लिये गये है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय की तकनीकी त्रुटि होना पाया जाता है।

अतः परिणाम स्वरूप अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार हरनावदाशाहजी के प्रकरण संख्या 551/2015 में अन्तर्गत एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 91 के तहत पारित आदेश दिनांक 12.12.2015 में बेदखली एवं शास्ति के दण्ड को यथावत रखा जाता है। अपीलांट को उक्त आदेश से दी गई (60 दिन) की सिविल कारावास की सजा को इस शर्त पर माफ किया जाता है कि नायब तहसीलदार हरनावदाशाहजी आई.एल.आर. स्तर के अधिकारी से मौके की 2 बार जॉच करावे, यदि अपीलांट का अतिक्रमित आराजी वाके ग्राम बोरदा तहसील छीपाबड़ौद के खसरा नम्बर 291/102 की रकबा 6 बीघा भूमि किस्म चारागाह पर कब्जा नहीं पाया जावें, तो न्यायालय नायब तहसीलदार, हरनावदाशाहजी के प्रकरण संख्या 551/2015 मे पारित आदेश दिनांक 12.12.2015 से दी गयी सिविल कारावास की सजा में से अब तक भुगती गई सजा को छोड़कर शेष सजा माफ रहेगी अन्यथा अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, हरनावदाशाहजी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.12.2015 यथावत रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 12.11.2020 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(मोहम्मद अबूबक्र)
अति0 जिला कलक्टर, बारॉ

Signature Not Verified

Digitally signed by Mohammed Abubakr
Date: 2020.11.24 16:25:00 IST
Reason: SelfAttested